छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1026/2008

1. श्री अशोक कुमार लूनावत, – *अपीलार्थी*
अधिवक्ता, नया गुरूद्वारा के सामने,
स्टेशन रोड़, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय नगर पालिका निगम,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 13 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अशोक कुमार लूनावत द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका निगम, दुर्ग के समक्ष दिनांक 29.04.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.07.2008 को अपील भी प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील समयावधि में दाखिल नहीं करने के कारण दिनांक 04.08.2008 को अग्राह्य कर दी गई, उपरोक्त स्थिति से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 06.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि जानकारी दिनांक 21.10.2008 एवं 01.12.2008 को दे दी गई है और कुछ जानकारी त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण एवं अपठनीय बताई गई है, अतः आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि मूल रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और शेष जानकारी भी 15 दिवस में पठनीय एवं निःशुल्क दी जावे। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को अपीलार्थी ने बताया कि आयोग के आदेश का पालन समयावधि में नहीं करके दिनांक 23.01.2009 को अवलोकन कराया गया और दिनांक 03.02.2009 को जानकारी दी गई। इस तरह उन्हें काफी लंबे समय तक परेशान किया गया तथा इसके अलावा उन्होंने जो जानकारी दी है, वह संबंधित जानकारी नहीं थी और शंकर नाले से संबंधित कुछ अधूरी जानकारी दी गई है, जबकि प्रति अपीलार्थी का यह कहना है कि जल संसाधन विभाग से उन्हें जैसी जानकारी प्राप्त हुई, वैसी दी गई है और उनके पास जितना रिकार्ड है, वह उनके द्वारा दे दिया गया है। अतः इस संबंध में अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि नगरनिगम की ओर से जल संसाधन विभाग को एक बार पुनः अपीलार्थी द्वारा अपूर्ण जानकारी की जो सूची दी गई है, वह भेजकर उनसे स्पष्ट उत्तर बुलाया जावे कि यह जानकारी उनके पास रिकार्ड में उपलब्ध है अथवा नहीं? यदि यह जानकारी जल संसाधन विभाग एवं नगर निगम में उपलब्ध हो जाती है तो 15 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे, यदि दोनों

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

जगह से प्राप्त नहीं होती है तो यह स्पष्ट उत्तर अपीलार्थी को दिलवाया जावे कि यह जानकारी उनके यहॉ उपलब्ध नहीं है तथा उक्त शंकर नाले का निर्माण बिना उस जानकारी के किया गया है । प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता तो आवश्यक प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जानकारी छिपाने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है । प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम की ओर से राशि 400/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com